

महोदय,

प्रार्थी कृष्णलाल पुत्र बगडावत राम जाति बिश्नोई निवासी दुलपुरा तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, मूल रसीद गुम होने की दर्ज एफ.आई.आर एवं शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 03.06.2015 को एक बंद वसीयत(शील्ड लिफाफा) सेफ कस्टडी में रखी गयी थी जिसे अब प्रार्थी बिना खोले वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थी को गवाहान श्री ओमप्रकाश पुत्र कृष्णलाल एवं प्रमोद पुत्र सतपाल ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री रामनिवास बिश्नोई अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है।

इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।
जिला पंजीयक महोदय

2022/157

